बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ०बजट०विविध–35/2014– 1300 /कृ0, पटना, दिनांक 12/3/ , 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, कृषि/उद्यान/भूमि संरक्षण/पी० पी० एम० बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण/उपयोगी अनुसंधान/अभियंत्रण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल/संयुक्त कृषि निदेशक, (पाट) पूर्णियाँ/उप कृषि निदेशक, (पाट), समस्तीपुर/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, तेलहन/सूचना/कम्पोष्ट/शिक्षा/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/बीज निरीक्षण/बीज परीक्षण/बीज विश्लेषण/अभियंत्रण/पौधा संरक्षण/उप कृषि निदेशक, मिट्टी जाँच, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र आरा/पूर्णियाँ/मोतिहारी/प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी/सभी सहायक मिट्टी रसायनज्ञ/सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना/दलहन विकास पदाधिकारी, बड़हिया/सहायक निदेशक (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष, 2014–15 में माह फरवरी, 2015 तक हुए व्यय का सत्यापन महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–5133 दिनांक–14.11.2014 एवं पत्रांकः–768 दिनांक–09.02.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार बिहार, पटना का पत्रांकः–ए०ए०/व्यय प्रतिवेदन/2014–15/848 दिनांक–04.03.2015 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष, 2014–15 के माह फरवरी 2015 तक प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के लेखा का सत्यापन कराया जाना है। प्रत्येक तीन माह पर लेखा का सत्यापन कराया जाना बिहार वित्तिय नियमावली के नियम 475 के तहत आवश्यक है। इसके लिए अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सत्यापन दल को महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करते हुए सत्यापन की कार्रवाई दिनांक–24.03.2015 तक पूरी कर लेना सुनिश्चित किया जाए।

महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से विभागीय व्यय के आँकड़ो का सत्यापन कराकर इसकी प्रति सहायक, सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, "बजट", कृषि विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
12/3/15
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 1300 /कृ0, पटना दिनांक 12/3/ 2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सत्यापन दल को अपेक्षित सहयोग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को देने की कृपा की जाय।

2. वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-09.05.2013..doc